# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 30/2023
जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2023/135

| अपीलान्टः— | बनाम | रेस्पोडेन्ट्सः— |
|---|---|---|
| 1. भंवरलाल पुत्र गोकुलराम | | 1. सोनाराम पुत्र शेषाराम जाति भांबी निवासी |
| 2. ओमप्रकाश पुत्र नथाराम जातिगण मेघवाल निवासी धुरासनी तहसील सोजत जिला पाली | | 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत। |

**"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"**

उपस्थित :—

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, तरूण उपाध्याय।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

—: निर्णय :—

दिनांकः— 26/12/2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम धुरासनी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 04.09.1998 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेक़र्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम धुरासनी के खसरा संख्या 263 से सम्बन्धित अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जैर नामान्तकरण संख्या 341 को नायब तहसीलदार सोजत द्वारा दिनांक 20.06.1998 को इस आधार पर अस्वीकृत किया जैर आराजी पर सम्वत् 2044 से 2046 तक काश्त नहीं है। जैर आराजी पर पीढ़ियों से अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है तथा अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण न्यायालय से अनुमति लेकर जैर अपील पेश की है, जिसके के साथ धारा 5 म्याद ग्रार्थना पत्र भी संलग्न है, जिसके आधार पर मेरी अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध न तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपील की और न ही उस आदेश को सम्बन्धित नायब तहसीलदार ने पुर्नविलोकन किया, उसके उपरान्त तहसीलदार सोजत ने अपने स्तर पर ही दिनांक 04.09.1998 को यह लिखते हुए निर्णय पारित किया कि खसरा गिरदावरी में सम्वत् 2051, 2053, 2054 में काश्त

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

दर्ज है, इसलिये दिनांक 20.06.1998 का आदेश रिव्यू किया जाता है व उसे निरस्त कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सोनाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। जैर आराजी रेस्पोडेण्ट को वर्ष 1985 अर्थात् सम्वत् 2042 में आवंटित हो रखी है तथा आवंटन की शर्तों अनुसार उसी वर्ष आवंटित भूमि की 50 प्रतिशत भूमि एवं 2 वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर काश्त का नियम है और यदि तीन वर्ष तक काश्त नहीं की जाती है तो खातेदारी देने का कोई नियम नहीं है। नायब तहसीलदार ने वक्त आवंटन से सम्वत् 2044 से 2046 तक काश्त नहीं होने अर्थात् आवंटन की शर्तो की अवहेलना होने से जैर नामान्तरकरण खारिज किया है। यदि रिव्यू होता है तो उसी सम्वत् की गिरदावरी का होता है उससे आगे की गिरदावरी का नहीं लेकिन तहसीलदार सोजत ने गिरदावरी सम्वत् 2044 से 2046 के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करके उससे आगे की गिरदावरी 2051, 2053, 2054 का उल्लेख करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो नायब तहसीलदार के आदेश के विपरीत है तथा तहसीलदार सोजत को उक्त आदेश का रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिये अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से जैर नामान्तरकण खारिज फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट, अपीलाधीन नामान्तरकरण में पक्षकार ही नहीं थे तो उन्हे उसे चुनौती देने का अधिकार ही नहीं है। साथ ही जैर आराजी पर वर्ष 1998 में अथवा उससे पहले अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त है, ऐसे कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में कोई राजस्व रेकर्ड है। अपीलाण्ट ने केवल धारा 5 म्याद का प्रार्थना पत्र पेश किया है उन्हे न्यायालय द्वारा अपील पेश करने की कोई अनुमति नहीं दी गयी तथा अपीलाण्ट ने जैर अपील आदेश को लगभग 25 वर्ष बाद वर्ष 2023 में चुनौती दी है उसमें भी देरीना का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वर्तमान में जैर आराजी रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि है। मूल अपील में अपीलाण्ट का केसें हक अधिकार है, उसके बारे में कोई तथ्य अंकित नहीं है। नायब तहसीलदार ने जैर नामान्तरकरण समस्या समाधान अभियान में अस्वीकृत क्रिया था जिसे मात्र 3 माह में ही तहसीलदार द्वारा रिव्यू क़िया जाकर अभियान के दौरान उचित निर्णय पारित किया। अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण को चुनौती कर निर्णय को चुनौती दी है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम धुरासनी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 04.

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

09.1998 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपील अपीलाण्ट ने अपनी अपील मीमों मे कथन किया कि जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट का पीढ़ीयों से कब्जा है एवं काश्त करते आ रहे है लेकिन जैर अपील नामान्तरकरण आदेश जारी करते समय अपीलाण्ट को नहीं सुना गया, जिससे अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित हुये है। इसके लिये अपीलाण्ट ने अपील मीमों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत अपील पेश करने की अनुमति हेतु पेश किया। जिस पर मनन किया गया, चुंकि जैर अपील नामान्तरकण में निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना है, इसलिए अपील अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि नायब तहसीलदार सोजत ने समस्या समाधान अभियान 1998 में जैर नामान्तरकरण संख्या 341 आदेश दिनांक 20.06.1998 को इस आधार पर अस्वीकृत किया कि जैर आराजी पर रेस्पोडेण्ट सोनाराम पुत्र शेषाराम का सम्वत् 2044 से 2046 तक काश्त नहीं है, और जैर नामान्तरकरण की पुश्त पर यह अंकित किया हुआ है कि आम जन समुह की मांग पर मौका देखने पर पाया कि जैर आराजी पर गैर खातेदार द्वारा बाजरी की खेती की जा रही है, गिरदावरी रजिस्टर में संवत 2051, 2053, 2054 में काश्त दर्ज है होने के कारण नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.1998 को रिव्यु करते हुए निर्णय दिनांक 04.09.1998 को रेस्पोडेण्ट को गैर खातेदार को खातेदार घोषित किया गया। जहां तक रिव्यू का प्रश्न है तो रिव्यू आवेदन–पत्र उन्हीं सदस्य अथवा पूर्वाधिकारियों द्वारा सुना जाना चाहिए जिन्होंने आक्षेपित आज्ञा दी थी परन्तु हस्तगत प्रकरण में जैर रिव्यू आदेश दिनांक 04.09.1998 किस अधिकारी के द्वारा पारित किया गया, के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी नामान्तरकरण के अवलोकन से प्राप्त नहीं होती है, जो जैर रिव्यू आदेश की सत्यता एवं प्रमाणिकता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86(2) के अनुसार– प्रत्येक अन्य राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी या तो स्वंय अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी पक्षकार के आवेदन–पत्र पर अपने द्वारा अथवा अपने पद के पूर्वाधिकारियों द्वारा दी गई किसी आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसी आज्ञाएँ दे सकेगा जिन्हें वह उचित समझे परन्तु हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट द्वारा न तो ऐसा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही जैर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

नामान्तरकरण आदेश से यह ज्ञात होता है कि उक्त आदेश उन्हीं पद के अधिकारियों द्वारा पारित किया गया हो, लिहाजा जैर नामान्तरकरण आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम धुरासनी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 04.09.1998 को अपास्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए समस्त दस्तावेजो/साक्ष्य की जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)